राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ जयपुर, दिनांक : 30/09/2011

कार्यालय आदेश

विषय :– नगरीय निकायों में "Dedicated Consultant" की सेवाऐं लिये जाने हेतु दरों के निर्धारण बाबत्।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(228) नविवि/3/10 दिनांक 21.09.2011 द्वारा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यासों एवं नगरीय निकायों हेतु Dedicated Consultants को Empanelment किया गया है एवं इन Dedicated Consultants से प्रथम चरण में निम्न कार्य करवाये जाने बाबत् विस्तृत आदेश प्रसारित किये गये है–

Item No. 1 :

- Regularization of Unauthorized colonies on Agriculture Land.

Item No. 2 :

- Regularization of Slums :

Item No. 3 :

- Preparation of Projects under Affordable Housing Policy 2009.

Item No. 4 :

- Issuance of patta under State Grant Act (In case of built up plots on Government Land in abadi areas prior to a cut off date)

Item No. 5 :

- Identification of Siwai Chak (Government land) for allottment to local body by concerned District Collector, survey of the land and preparation of Proposed Layout plan of the scheme,

Item No. 6

- Earmarking and planning of public parking areas, dumping site for solid waste disposal.

Item No. 7

- Earmarking and planning of vendor zone/ informal sector shopping areas in the town.

Item No. 8

- Any other work/project on mutually agreeable terms and conditions between the consultant and the local body.

उपरोक्त Items के तहत करवाये जाने वाले विस्तृत कार्यो का विवरण समसंख्यक आदेश दिनांक 21.09.2011 में दिया गया है। इन कार्यो हेतु निम्नानुसार दरों का निर्धारण किया जाता है–

Item No. 1- Regularization of Unauthorized colonies on Agriculture Land.

Item No. 1 (Regularization of unauthorized colonies on Agriculture land) हेतु प्रति पत्रावली निम्नानुसार दर निर्धारण किया जाता है –

Item No. 1 में वर्णित बिन्दु सं. **a-h** से संबंधित समस्त कार्यो हेतु – (पूर्ण कार्य हेतु)

- Plot area upto 500 Sqm - Rs 1450.00 +tax per file
- Plot area more than 500 Sqm - Rs 2000.00 +tax per file

टोटल स्टेशन सर्वे एवं ले–आउट प्लान पूर्व में ही उपलब्ध होने पर पत्रावली तैयार किये जाने का शेष कार्य– (आंशिक कार्य हेतु)

- Plot area upto 500 Sqm - Rs 1000.00 +tax per file
- Plot area max than 500 Sqm - Rs 1500.00 +tax per file

Item No. 2 - Regularization of Slums

Item No. 2 में वर्णित बिन्दु सं. a-h से संबंधित समस्त कार्यो हेतु – (पूर्ण कार्य हेतु)

- Plot area upto 110 Sqm - Rs 1480.00 +tax per file
- Plot area more than 110 Sqm - Rs 1000.00 +tax per file

टोटल स्टेशन सर्वे एवं ले–आउट प्लान पूर्व में ही उपलब्ध होने पर पत्रावली तैयार किये जाने का शेष कार्य– (आंशिक कार्य हेतु)

- Plot area upto 110 Sqm - Rs 1200.00 +tax per file
- Plot area more than 110 Sqm - Rs 900.00 +tax per file

कच्ची बस्ती से संबंधित भारत सरकार की राजीव आवास योजना हेतु Slum free city planning, GIS mapping व DPR आदि तैयार किये जाने हेतु कार्य करवाये जाने पर इस कार्यो हेतु स्वीकृति दर (आदेश दिनांक 22.07.2011) के अनुरूप भुगतान किया जावेगा।

Item No. 3- Preparation of Projects under Affordable Housing Policy 2009.

Item No. 3 में वर्णित बिन्दुओं से संबंधित समस्त कार्यो हेतु निम्नानुसार दर निर्धारण किया जाता है–

- Preparation of Projects under Affordable Housing Policy 2009. - 1.00% of project cost (for preparation of DPR)

उक्त Item में भुगतान चयनित निजी विकासकर्त्ता द्वारा किया जावेगा एवं यदि परियोजना भारत सरकार से सब्सिडी हेतु अनुमोदित की जाती है तो राशि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से पुर्नभरण की जावेगी।

Item No. 4 - Issuance of patta under State Grant Act (In case of built up plots on Government Land in abadi areas prior to a cut off date)

उक्त Item में वर्णित कार्य Item No. 2 के समान ही है अतः Item No. 4 हेतु दर Item No. **2** के समान ही होगी।

Item No. 5 :

Identification of Siwai Chak (Government land) for allottment to local body by concerned District Collector, survey of the land and preparation of Proposed Layout plan of the scheme,

उक्त Item में वर्णित कार्य Item No. 1 के बिन्दु संख्या a-g के समान ही है तथा Item No. 2 से संबंधित कार्यो हेतु राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 22.07.2011 के तहत दरे निर्धारित की गयी है, Item No. 5 में उपलब्ध भूमि Open ही होगी अतः इस item हेतु टोटल स्टेशन सर्वे एवं ले–आउट प्लान की दर open land (10% से कम निर्माण) हेतु निर्धारित दर Rs. 4000.00 प्रति हेक्टेयर+Tax निर्धारित की जाती है।

Item **No. 6** (Earmarking and planning of public parking areas, dumping site for solid waste disposal) व Item No. 7 (Earmarking and planning of vendor zone/ informal sector shopping areas in the town) में भी Item **No. 5** (Identification of Siwai Chak (Government land) for allottment to local body by concerned District Collector, survey of the land and preparation of Proposed Layout plan of the scheme) के समान ही कार्य सम्मिलित होगे अतः Item No. 5, 6 व 7 हेतु दर रू. 4000.00 प्रति हेक्टेयर+ Tax ही निर्धारित की जाती है।

Item **No. 8** (Any other work/project on mutually agreeable terms and conditions between the consultant and the local body) में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा Dedicated Consultants से अन्य Consultancy कार्य एवं दरों का निर्धारण नगरीय निकाय एवं Dedicated Consultants के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् किया जा सकेगा।

उपरोक्त Items हेतु किये जाने वाले कार्यो का भुगतान निम्नानुसार विभिन्न चरणों में किया जावेगा।

Item No. (1) : Regularisation of unauthorised housing Colonies on Agriculture Land. (सम्पूर्ण कार्यो हेतु)

- 50% on submission of Survey and Layout Plan.
- 40% on submission of file along with relevant documents as per checklist provided by ULB.
- 10% on issue of patta (lease-Deed) (In case patta/lease deed is not issued within 3 months of the submission of file the payment to the consultant shall be released if the file is complete in all respect).

आंशिक कार्य होने पर भुगतान दो चरणों में किया जावेगा।

- 40% on submission of file along with relevant documents as per checklist provided by ULB.
- 60% on issue of patta (lease-Deed) (In case patta/lease deed is not issued within 3 months of the submission of file the payment to the consultant shall be released if the file is complete in all respect).

Item No. (2) : Regularisation of Slums – (सम्पूर्ण कार्य हेतु)

- 50% on submission of Survey and Layout Plan.
- 40% on submission of file along with relevant documents as per checklist provided by ULB.
- 10% on issue of patta (lease-Deed) (In case patta/lease deed is not issued

within 3 months of the submission of file the payment to the consultant shall be released if the file is complete in all respect).

आंशिक कार्य होने पर भुगतान दो चरणों में किया जावेगा।

- 40% on submission of file along with relevant documents as per checklist provided by ULB.
- 60% on issue of patta (lease-Deed) (In case patta/lease deed is not issued within 3 months of the submission of file the payment to the consultant shall be released if the file is complete in all respect).

Item No. (3) : Preparation of Projects under Affordable Housing Policy 2009.

- 10% on submission of Total Station Survey / Site Plan of the land with layout plan of the project with submission of drawings as per requirement of the building byelaws.
- 10% on approval of the project by the Urban Local Body (after receiving registration of the houses).
- 25% on submission of DPR and approval by the State Level Committee,
- 25% on approval of DPR by Govt. of India (if it is sent for subsidy etc. Otherwise the fee payable at this stage shall be released.
- 20% on starting of the project after tendering process etc.
- 10% on completion of 50% of the project.

उक्त item हेतु कार्य का भुगतान चयनित निजी विकासकर्त्ता द्वारा ही किया जावेगा अतः भुगतान के विभिन्न चरण आपसी सहमति से भिन्न भी निर्धारित किये जा सकेगे।

उपरोक्तानुसार भुगतान Municipal Bodies के लिये RUIFDCO द्वारा RUDF Fund से किया जाना प्रस्तावित है तथा Consultants को भुगतान संबंधित नगरीय निकाय द्वारा कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात् ही किया जावेगा। Item No. (i), (ii) व (iv) में Dedicated Consultant को देय भुगतान की गणना Layout Plan में अंकित भूखण्डों की संख्या को प्रति पत्रावली मानते हुये स्वीकृत दर के आधार पर की जावेगी।

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर विकास न्यासों द्वारा भुगतान अपने स्तर से तथा अपने बजट से किया जावेगा।

इस राशि के भुगतान हेतु संबंधित नगरीय निकायों द्वारा भूखण्डधारी से निम्नानुसार प्रति पत्रावली राशि ली जावेगी जो कि नियमानुसार देय नियमन दर के अतिरिक्त होगी।

Item No. 1- "Regularization of Unauthorized colonies on Agriculture Land"
-Rs. 20.00 प्रति वर्ग मी./ (भूखण्ड क्षेत्रफल पर)

30/8/2011

निदेशक
स्वायत्त शासन विभाग

उप शासन सचिव–तृतीय,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.10(228)नविवि/3/10/ दिनांक : 30/09/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
7. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करें।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
11. निदेशक (आयोजना), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. निदेशक (प्रोजेक्टस), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
15. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ.ए, जयपुर।
16. मुख्य प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
20. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
21. मुख्य अभियन्ता (मु0), नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा।
22. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं संलग्नक सूची को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

निदेशक
स्वायत्त शासन विभाग

उप शासन सचिव–तृतीय
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग